an>

Title: Need to enhance the income for fixing the eligibility criteria for creamy layer in OBC quota in view of 7th Pay Commission.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों की तरह राÂष्ट्रीय धारा में लाने हेतु उनको 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया हुआ है। यह केवल उन परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये तक है। अन्य पिछड़े वर्गों में उन लोगों को शिक्षा एवं रोज़गार में मिलने वाले 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जो इससे ज्यादा राशि को वार्Âिषक रूप से प्राप्त करते हैं। वर्ष 2013 में इसे छः लाख रुपए किया गया था।...(व्यवधान) देश में वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच में मूल्य सूचकांक बढ़ गया है, लोगों की आय बढ़ गयी है।...(व्यवधान) सालाना छः लाख रुपए आय वाले लोगों की संख्या अब पिछड़े वर्गों में भी बहुत ज्यादा हो गयी है।...(व्यवधान) रोज़गार व शिक्षा में आरक्षण की सुविधा नहीं मिलने के कारण उनके परिवार समुचित विकास से वंचित रहेंगे।...(व्यवधान) हाल में शासन द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मान लिए जाने के कारण तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की भी सालाना आय छः लाख रुपए की सीमा पार कर जाएगी।...(व्यवधान)

अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार संशोधित कर इसे बारह लाख रुपए तक किया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री प्रहलाद सिंह पटेल,

श्री बोध सिंह भगत,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री शरद त्रिपाठी और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

â€¦(व्यवधान)